



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-2160-औसं-17 / पाकालि / 2024-11(12)ए०एस० / 2006 (टी०सी०-१)

दिनांक ३० जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित/पुनरक्षित दरों, जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-medical पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं-4452-औसं-17 / पाकालि / 2009, दि० 09.12.2002 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (अधि०) कृते मुख्य अभियन्ता (वि०), जानकीपुरम क्षेत्र, स्काडा भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ की निरीक्षण आख्या/संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये जिला पंजीकरण प्राधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल पंजीकरण दिनांक 20.05.2024, जो एक वर्ष हेतु वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी०जी०ए०एस०-2014 की मानक दरों पर एतद्वारा ग्लोब हेत्थकेयर, ए 3-5 निराला नगर, लखनऊ को दिनांक 30.04.2026 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088-एन०जी०-2 / एस०ई०बी०(चार)२९-एन०जी०-2 / ७८, दिनांक 24.05.78 एवं आदेश सं-3330-औसं / 2018-11(28) ए०एस० / 2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 एवं अन्य पुनररक्षित आदेशों में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

1. चिकित्सालय को जिले के पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो, उस चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
3. चिकित्सालय परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.04.2026 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
4. चिकित्सालय को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन को भेजनी होगी :-
 (क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।
 (ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।
 (ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।
 (घ) कार्मिक का वेतनमान।
 (ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)।
 (च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।
5. चिकित्सालय अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के साथ-साथ वाह्य रोगी के रूप में गम्भीर रोगों हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार कराने हेतु भी मान्य होगा। वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं-2335-औसं-17 / पाकालि / 2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

Rumal

क्रमशः २/-

6. उक्त चिकित्सालय उ0प्र० पावर कारपोरेशन लि० के साथ-साथ उ0प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ0प्र० पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लि० एवं उ0प्र० जल विद्युत निगम लि० के कार्मिकों/पेन्शनरों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार कराने हेतु भी अधिकृत होगा।
7. चिकित्सालय प्रबन्धन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह CGHS-2014 की मानक दरों एवं पुनरक्षित दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।
8. यदि चिकित्सालय द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो चिकित्सालय के बीजकों में भोजन के मद हेतु र० 50/- - प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।
9. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-2160(1) औसं-17 / पाकालि / 2024-तददिनांक :-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. अध्यक्ष, उ0प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र० पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ/एस०एल०डी०सी० लि०, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
 3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्याँचल, लखनऊ/पूर्वांचल/वाराणसी/पश्चिमाँचल/मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
 5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र० पावर ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
 7. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ0प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 8. मुख्य अभियन्ता (हाइड्रेल), उ0प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
 9. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण) को इस अन्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
 10. महाप्रबन्धक (औ०सं०)/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
 11. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
 12. महाप्रबन्धक (चिकित्सा)/मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
 13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
 14. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
 15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-४०७, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु।
 16. जिला पंजीकरण प्राधिकारी, लखनऊ।
 17. प्रबन्धक, रलोब हेत्थकेयर, ए ३-५ निराला नगर, लखनऊ।
 18. कट फाइल।

स्पीड पोस्ट 1

भवदीय,

Ramnaik

(प्रदीप कुमार)

महाप्रबन्धक (औ०सं०)